न्यायालयः सहायक कलेक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारीः– भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 25/2016

अनवान

वादीगण

मृतवादी जेपा वल्द वदा कौम भांबी निवासी–सांचौर के कायम मुकाम

1. स्व. छगनाराम पुत्र जेपा के कायम मुकाम
   (अ) अमियादेवी पत्नी श्री छगनाराम
   (ब)नरपतकुमार पुत्र श्री छगनाराम
   (स) भावेश पुत्र श्री छगनाराम
2. स्व.मगनाराम पुत्र श्री जेपा कौम भांबी निवासी सांचौर के कायम मुकाम
   (अ) बलवन्ताराम पुत्र श्री मगनाराम
   (ब) जड़ाव पुत्र श्री मगनाराम
   (स) इन्द्रा पुत्री श्री मगनाराम
3. उगम पुत्री जेपा कौम भांबी निवासी कांटोल तहसील सांचौर
4. पार्वती पुत्री जेपा कौम भांबी निवासी धानता तहसील सांचौर
5. शान्ता पुत्री जेपा कौम भांबी निवासी प्रतापपुरा तहसील सांचौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला–जालोर
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांचौर।

उपस्थिति :वादीगण :– अधिवक्ता भगवती प्रसाद
प्रतिवादीगण :– तहसीलदार सांचौर
अधिवक्ता प्रतापाराम विश्नोई

निर्णय दिनांक 24.12.2020

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दावा धारा अन्तर्गत 88,188,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस प्रकार पेश किया कि वादीगणों के पूर्वज स्व. जेपा पुत्र श्री वदा के मालिकाना हक हकूक एवं कब्जाकाश्त की खातेदारी भूमी ग्राम सांचौर के पुराने खसरा न.332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा खसरा न. 315 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की आई हुई है। जिसके वर्तमान में पैमाईश में खसरा न. 332 के नये खसरा नम्बर 575 रकबा 0.01 हैक्टर, गै.मु., खसरा नम्बर 576 रकबा 0.02 हैक्टर गै. मु. मकान खसरा नम्बर 577 रकबा 0.64 हैक्टर , खसरा नम्बर 578 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.45 हैक्टर कुल रकबा 3.75 हैक्टर तथा खसरा न. 315 के नये खसरा नम्बर 763 रकबा 0.58 हैक्टर आयी हुई है। उक्त मुन्दरजा दिया भूमि पर वादीगण व उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 15:04:48 IST
Reason: SelfAttested

24/12/2020
सहायक कलैक्टर
सांचौर.

Scanned by CamScanner

पूर्वजो का कब्जा काश्त पीढीयों से पृथम पैमाईस से पूर्व से ही बिना किसी विघ्न के शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। नकल मिसल बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 जमाबन्दी संवत् 2018 से 2033 व मिलान क्षैत्रफल नये व पुराने खसरो नम्बरो की प्रमाणित प्रतियां पेश है।
प्रथम पैमाईस संवत् 2009 की सर्वे व भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान स्व.जेपा का उक्त आराजी पर खातेदार टिनेन्ट के रूप में कब्जा काश्त होने एवं By Virtue of Operation Of Law, उक्त आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 315 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वादीगण के पूर्वज श्री जेपा पुत्र वदा जाति भांबी, निवासी–सांचौर, जिला–जालोर को बतौर खातेदार काश्तकार रेकर्ड ऑफ राईटस–मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी में दर्ज किया गया तथा उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 के धारा 15 व अन्य प्रावधानों के तहत खातेदार काश्तकार के समस्त अधिकार प्रोदभूत हो गए । इस आराजी पर स्वत्र जेपाजी अपने जीवन प्रर्यन्त खातेदार के रूप में काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उनके उत्तराधिकारी स्व. छगनाराम, मगनाराम, एवं उनकी पुत्रीयां वादीगण संख्या 3, 4 व 5 काबिज काश्त है। स्व. छगनाराम व स्व.मगनाराम के पश्चात उनके उत्तराधिकारी वादीगण क्रमशः अमिया देवी , नरपत कुमार व बलवन्ताराम , जडाव व इन्द्रा उक्त आराजी पर काबिज काश्त है।

स्व. जेपा पुत्र श्री वदा, जाति भांबी है उनके समस्त वारिशान/उत्तराधिकारी भी प्राकृतिक जायन्दा औलाद होने से जाति से भांबी (मेगवंशी)/मेघवाल है। इस जाति को राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति घोषित है।

राजस्थान राज्य में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 दिनांक 15.10.1955 से राजस्थान राज्य में लागू हुआ तथा उक्त एक्ट की धारा 42 (ब) दिनांक 22.09.1956 जोड.कर यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा गैर अनुसूचित जाति /जनजाति के सदस्यों के पक्ष में बैचान , बक्शीश , वसीयत द्वारा कृषि भूमि का हस्तान्तरण अवैध होगा तथा दिनांक 01.05. 1964 से उक्त प्रकार के हस्तान्तरणों को शून्य घोषित किया गया है।

स्व. जेपा नें उक्त आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा की कृषि भूमि का हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति को जरिये बैचान , बक्शीश, वसीयत , रहन एवं उपपट्टे द्वारा हस्तान्तरण नहीं किया है। 100 रूपये से अधिक मूल्य की अचल सम्पति का हस्तान्तरण जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही सम्भव है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पूर्वजो/वादीगण द्वारा कभी भी राज हित में समर्पण नहीं किया है, तथा न ही आराजी का परित्याग किया है। वादीगण के खातेदारी का पर्यवसन/समाप्ति केवल मात्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के तहत ही विहित कानूनी प्रकिया अपनायी जाकर समाप्त की जा सकती है।

वादीगण द्वारा कुछ समय पूर्व जानकारी प्राप्त होने पर यह मालूम हुआ कि ग्राम कि ग्राम–सांचौर के नामान्तरकरण संख्या 428 दिनांक 11.03.1977 से उक्त आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा को श्रीमान परगना अधिकारी भीनमाल के आदेश क्रमांक/राज./लेखा/1292 दिनांक 13.12. 1976 जो उनके न्यायालय के मुकदमा नम्बर 44/1975 अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 08.07.1976 व तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक/राजस्व /140 दिनांक 24. 12.1976 की पालना में उक्त भूमि खालसा घोषित करने पर [illegible] दर्ज करनें हेतु भरा जाकर तहसीलदार सांचौर द्वारा स्वीकृत होने पर आराजी खसरा नम्बर 332 [illegible] रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर ली गई है। परन्तु वादीगण के खातेदारी की अन्य भूमि खसरा [illegible] 315 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्व. जेपा के नाम से यथावत रखी गई है। [illegible] के कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनें पर वादीगण को उनके द्वारा सूचित किया गया कि [illegible] कार्यालय में उक्त विवरण की मुकदमा नम्बर 44/1975 में पारित आदेश दिनांक 08.07.1976 व पत्र क्रमांक/राजस्व/लेखा/1292 दिनांक 13.12.1976 उपलब्ध नहीं है तथा न ही उक्त पत्रावली उपलब्ध है। इस प्रकार वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

24/12/2020
सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner

उक्त विवादस्पद मुकदमें में पारित आदेश व निर्णय व अन्य कागजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं हो सकी ।जिसके अभाव में उक्त गैर कानूनी, शून्य व बेअसर आदेश/निर्णय को अपास्त करवानें हेतु सक्षम अपील अधिकारी को अपील करना सम्भव नही हो सका एवं वादीगण की खातेदारी अधिकारों की मालिकाना हक हकूक व स्वत्व की आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, अवैध व गैर कानुनी आदेश दिनांक 08.07.1976 को शून्य व बेअसर घोषित करवानें ,रेकर्ड दुरूस्ती व प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें हेतु यह वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

वादीगण के पूर्वज स्व. जेपाजी अनुसूचित जाति भांबी (मेघवंशी/मेघवाल) जाति से है।वह एक अनपढ, भोलेभाले व्यक्ति थे। गरीबी के कारण वे अपना जीवन मेहनत, मजदूरी से ही परिवार में पढा–लिखा,उच्च शिक्षित व्यक्ति भी नहीं था उन्हें राजस्व विधि के क्लिष्ट विधिक प्रावधानों की जानकारी भी नही थी तथा वे हमेशा ही से इस विश्वास में रहे कि वादग्रस्त भूमि उनकी खातेदारी में ही दर्ज है।

स्व. जेपाजी व उनके उत्तराधिकारीयों नें उक्त आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा कभी भी किसी अन्य स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को जरिये बेचान ,वक्शीश ,वसीयत , रहन व उपपट्टे पर रजिस्टर्ड दस्तावेज से हस्तान्तरित नही की है। तथा न ही कोई प्रतिफल प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा मुकदमा नम्बर 44/1975 में पारित में निर्णय/आदेश दिनांक 08.07.1976 द्वारा खसरा नम्बर 332 की आराजी को राजकीय सिवायचक/खालसा सरकार हमें विधिवत रूप से सुने बिना व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना करना कानूनी प्रावधानों के विपरित होनें से शून्य है तथा वादीगण के अधिकारो पर ऐसे अवैध व शून्य आदेश बेअसर है तथा ऐसा शून्य व बेअसर वाला आदेश काबिल निरस्त योग्य है।

ऐसे अवैध/गैर कानूनी,शून्य व बेअसर आदेश दिनांक 08.07.1976 की पालना में खोला गया, ग्राम–सांचौर का नामान्तरकरण संख्या 428 दिनांक 11.03.1977 स्वतः ही अवैध व शून्य है तथा काबिले निरस्त योग्य है। इसी प्रकार इस अवैध व विधि विरूद्व स्वीकृत शून्य व बेअसर नामान्तरकरण की पालना में ग्राम– सांचौर के खसरा नम्बर 332 बाबत् जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्ठियां भी अवैध व शून्य होने से निरस्त की जाकर राजस्व अभिलेखों से हटायी जानें योग्य है।

परगना अधिकारी के उक्त शून्य व बेअसर आदेश दिनांक 08.07.1976 की पालना में ग्राम–सांचौर के नामान्तरकरण संख्या 428 के जरिये उक्त खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज की गई है। जबकि उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी रिकोर्डेड खातेदारी की भूमि है जिस पर वह संवत् 2009 के पूर्व से ही शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न/हस्तक्षेप लगातार काबिज काश्त है।चूंकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज है। परन्तु इस अवैध इन्द्राज की आड. में प्रतिवादी वादीगण को कभी भी अवैध रूप से उक्त आराजी खसरा नम्बर 332 व उनके नये खसरा नम्बर 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 कुल रकबा 3.75 हैक्टर से बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में वादीगण के खातेदारी अधिकारो, हक हकूको व स्वत्तवों की रक्षा हेतू वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है।

वादीगण को दिनांक 19.08.2014 को अपने मालिकाना हक हकूक की कृषि भूमि के सुधार कार्य हेतू रूपयों की आवश्यकता होने पर बैंक ऋण प्राप्त करनें के लिए अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि के टाईटल से संबंधित चेनल दस्तावेजो की आवश्यकता पडी तो उन्होने तहसीलदार सांचौर को खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा व नये खसरा नम्बर 575 से 583 तथा खसरा नम्बर 315 व नया खसरा नम्बर 763 से संबंधित जमाबन्दीयो की नकलें उन्हें दिनांक 21.08.2014 को उपलब्ध करवायी। नकलों का अवलोकन होने से ज्ञात हुआ कि परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 44/1975 में पारित आदेश दिनांक 08.07.1976 व पत्राक राजस्व/लेखा/1292 दिनांक 13.12.1976 एवं तहसीलदार सांचौर के आदेश कमांक राजस्व/140 दिनांक 24.12.1976 [illegible] 332 की समस्त भूमि खालसा घोषित किए जानें पर ग्राम–सांचौर के नामान्तरकरण [illegible] दिनांक 11.03.1977 स्वीकार कर भूमि जमाबन्दी में राजकीय सिवायचक दर्ज [illegible] अनुसार नये खसरा नम्बर 575 से 583 रकबा 3.75 हैक्टर भी राजकीय सि[illegible] खसरा नम्बर 763 की भूमि वादीगण की ही खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार [illegible] खसरा नम्बर 332 व नये खसरा नम्बर 575 से 583 तक राजकीय सिवायचक राजस्व अभिलेख में दर्ज होने की प्रथम बार जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner

वादीगण को दिनांक 21.08.2014 को हुई। इसके बाद वादीगण द्वारा परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा मुकदमा नम्बर 44/1975 में पारित आदेश व निर्णय दिनांक 08.07.1976 व पत्र दिनांक 24.12.1976 व पत्रावली में उपब्लध अन्य समस्त कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगी गयी परन्तु वादीगण को सूचित किया गया कि पत्रावली उपलब्ध नहीं है। परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित आदेश व निर्णय व अन्य कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं होने के कारण वादीगण इसे निरस्त करवानें हेतु सक्षम अपील न्यायालय में अपील नही कर सका। अन्य अभिलेख प्राप्त करनें व कानूनी राय मसविरा प्राप्त करनें के पश्चात प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर को वादीगण के पक्ष में खातेदारी पुनः दर्ज करनें व रिकोर्ड दुरूस्ती करनें हेतू सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 80 के तहत दो माह का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का है तथा अगर नोटिस देकर म्याद तक इन्तजार किया गया तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी सूरत में उक्त म्याद से अभिमुक्ति हेतू धारा 80 (2) सिविल प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रथक से श्रीमान के समक्ष पेश है। ऐसी सूरत में यह दावा वाद हेतुक/वादकारण उत्पन्न होने की तिथि 21.08.2014 से अन्दर म्याद प्रस्तुत है।
वादग्रस्त आराजी ग्राम– सांचौर, पटवार मण्डल सांचौर, तहसील–सांचौर में पुराना खसरा नम्बर 332 व नये खसरा नम्बर 575 से 583 तक में अवस्थित है तथा वादीगण का वाद उनके मालिकाना हक हकूक की होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा मुकदमा नम्बर 44/1976 में पारित आदेश दिनांक 07.08.1976 को शून्य आदेश द्वारा राजस्व अभिलेखों में की गई समस्त दुरूस्तीयों को निरस्त करनें का होने से इस दावे को सुनने व न्याय निर्णित करनें का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है।

अतः ग्राम– सांचौर के पुराना खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 575 ,576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 रकबा क्रमशः 0.01 हैक्टर, 0.02 हैक्टर, 0.64 हैक्टर, 0.64 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, कुल रकबा 3.75 हैक्टर की कृषि भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषित किया जाकर इसे वादीगण के विरूद्ध शून्य व बेअसर घोषित किया जाकर अपास्त किया जावें।

ग्राम– सांचौर के नामान्तरकरण संख्या 428 दिनांक 03.07.1977 जो उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा उप पैरा 2 में वर्णित अनुसार पारित किया जाकर खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा को सिवायचक घोषित किया है और इसके आधार पर राजस्व अभिलेखा में जो भी इन्द्राजात् वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी व अन्य के पक्ष में जो भी किये है उन्हें निरस्त फरमाया जावें एवं इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर ग्राम सांचौर के नये खसरे नम्बर 575 से 583 कुल रकबा 3.75 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में पुनःदर्ज की जावें।

स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादीगण को उनके मालिकाना हक हकूक व खातेदारी की कृषि भूमि मौजा वांके ग्राम–सांचौर के खसरा नम्बर 575 ,576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 रकबा क्रमशः 0.01 हैक्टर, 0.02 हैक्टर, 0.64 हैक्टर, 0.64 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, कुल रकबा 3.75 हैक्टर की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग के उनके अधिकारो मालिकाना हक हकूक व स्वत्वों मे न तो प्रतिवादी स्वयं तथा न ही उनके अधिनस्थ नौकरों, कर्मचारियों व अन्यों से किसी प्रकार की दखलन्दाजी करावें। तथा न ही ऐसी चेष्टा करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावें।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतौनी संवत 2012 से 2033 से 2036, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी 2033 से 2036 (खसरा संख्या 315) जमाबंदी संवत 2054 2057, 2058 से 2061, नकल नामान्तरण सं 428 सूचना के अधिकार के तहत अभिलेख के संबंध में गये पत्र व्यवहार की प्रतिया पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 15:04:48 IST
Reason: SelfAttested

तलबी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि ग्राम सांचौर के पुराने खसरा न. 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा खसरा न. 315

24/12/2020
सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner

रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जेपा पुत्र वदा कौम भाम्बी साकिन सांचौर के नाम खातेदारी संवत 2012 से 2031 प्रथम मिसल बन्दोबस्त में दर्ज थी। जिसके वर्तमान पैमाईस(द्वितीय भू. प्रबन्ध) के मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने खसरा नम्बर 332 के नये खसरा न. 575 ,576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 रकबा क्रमशः 0.01 हैक्टर, 0.02 हैक्टर, 0.64 हैक्टर, 0.64 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, 0.45 हैक्टर, कुल रकबा 3.75 हैक्टर है तथा पुराने खसरा न.315 के नये खसरा न. 763 रकबा 0.58 बने है। वादी का पुराने खसरा न.332 व 315 पर प्रथम भू. प्रबन्ध के समय कब्जा था। जो जमाबन्दी संवत 2018 से 2033 तक रहा है। वाद का अवतरण सं. 2 का जवाब इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज जेपा पुत्र वदा जाति भाम्बी निवासी सांचौर उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व अन्य प्रावधानों के तहत खातेदार काश्तकार के समस्त अधिकार प्रोदभूत होते है। परन्तु जेपा पुत्र वदा के जीवित रहते खसरा न. 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि विवादित होकर राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के मु.न. 44/1976 निर्णय दिनांक 08.07.1976 को विवादित भूमि सिवायचक राजस्थान सरकार के नाम घोषित की गयी । जिसका राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में जरिये नामा.सं. 428 दिनांक 11.03.1977 के द्वारा अमल दारामद होकर राजस्थान सरकार के नाम बिला कब्जा सिवायचक दर्ज की गई।

वादीगण के पूर्वज जेपा पुत्र वदा जाति भाम्बी साकिन सांचोर के जीवित रहते समय विवादित भूमि का प्रकरण धारा 175 आर टी एक्ट 1955 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल में मु. सं.44/1976 का निर्णय दिनांक 08.07.1976 को किया गया। यह प्रकरण जेपा पुत्र वदा के जीवित रहते निर्णित किया गया। यह जेपा द्वारा अराजी खसरा न. 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा की कृषि भूमि का हस्तानतरण किसी भी व्यक्ति को जरिये बैचान बक्शीश वसीयत रहन एवं उपपट्टै द्वारा हस्तानान्तरण नहीं किया गया था तो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के निर्णय दिनांक 08.07.1976 के आदेश की अपीलीय न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी।

वादीगण के पुर्वज जेपा पुत्र वदा जाति भाम्बी के नाम.सं. 428 दिनांक 11.03.1977 से उक्त आराजी खसरा न. 332 रकबा 23 बिघा 4 बिस्वा को श्रीमान परगना अधिकारी भीनमाल के आदेश क्रमांक/राज//लेख/1292 दिनांक 13.12.1976 जो उनके न्यायालय के मु.सं.44/1975 अन्तर्गत धारा 175 राज टिनेन्सी एक्ट 1955 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.1976 व तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक/राजस्व/140 दिनांक 24.12.1976 की पालना में उक्त भूमि खालसा घोषित करने पर सिवायचक दर्ज करने हेतू भरा जाकर तहसीलदार सांचौर द्वारा स्वीकृत होने पर आराजी खसरा न. 332 राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर दी गई । प्रकरण केवल खसरा न. 332 का चला था। ख.न. 315 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का प्रकरण नही चलने से जेपा पुत्र वदा के नाम खातेदारी यथावत रही है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल में प्रकरण सं. 44/1975 पारित आदेश दिनांक 08.07.1976 जो करीबन 40 वर्ष पुराना है। यह प्रकरण जेपा पुत्र वदा के विरूद्ध पारित किया गया था। उसके बाद द्वितिय प्रकरण माननीय सहायक जिलाधीश सांचोर में जेपा प्रतिवादी था। यह प्रकरण भी जेपा के विरूद्ध पारित किया गया। यदि विवादित आराजी गलत रूप से खालसा घोषित की गयी है। तो पारित आदेशों के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी।

विभिन्न न्यायालयों में दो प्रकरण चले है। जेपा पुत्र वदा को विधिवत रूप से सुने बिना व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना करना कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से शून्य नहीं है। सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

आदेश दिनांक 08.07.1976 विधिवत सुनवाई का समुचित अ[illegible] पारित किया गया है। जो सही है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण भरा गया है। अन्य तथ्य अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 15:04:48 IST
Reason: SelfAttested

[signature] 24/12/2020
सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी ग्राम सांचोर तहसील सांचोर में पुराना ख. न. 332 व नये ख.न. 575 से 583 तक अवस्थित है। यह भूमि वर्तमान में नगर पालिका सांचोर के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रकरण 44/1976 पारित आदेश दिनांक 07.08.1976 जो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा किया गया है। उक्त प्रकरण के अपील की म्याद गुजर चुकी है। माननीय न्यायालय के समक्ष का न्यायालय होने से उक्त पारित आदेश को निरस्त करने एवं दावे को सुनने व न्याय निर्णित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है।

माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण के पूर्वज जेपा पुत्र वदा जाति माम्बी साकिन सांचौर को इस विवादित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चले है।जो जेपा के जीवनकाल में चले है। जेपा को सभी प्रकरणों में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। तथा वर्तमान में भी खालसा सरकार बिला नाम भूमि होने से नगर पालिका सांचौर को हस्तान्तरण की जा चुकी है। वाद का निस्तारण वादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री फरमावें तथा वाद खारिज फरमावें।जवाब दावे के साथ नकल खतौनी संवत् 2012 से 2031, खेवट खतौनी 2018 से 2029, 2022 से 2025 , 2030 से 2033, 2033 से 2036, 2042, 2045, 2037 से 2040, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरणकरण 428, 694, जमाबन्दी 2054–2057, 2058–2061 नक्शा किश्तवार, जमाबन्दी 2070–2073 पेश की गई।

प्रतिवादी संख्या 2 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांचौर द्वारा जवाब इस प्रकार पेश किया कि पुराना खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा, खसरा न. 315 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड में 2012 से 20131 की खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार जेपला वल्द वदा कौम माम्बी साकिनदेह बाकीदार इन्द्राज था जिसके वर्तमान खसरा नम्बर . 575 ,576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 रकबा क्रमशः 0.01, 0.02, 0.64, 0.64, 0.45, 0.45, 0.45 जो पुराने खसरा नम्बर 332 से बने है तथा 763 रकबा 0.58 जो पुराने खसरा नम्बर 315 से बने है जिसमें से खसरा नम्बर 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 का इन्द्राज नगरपालिका के नाम व खसरा नम्बर 763 का इन्द्राज बलवन्ताराम पुत्र मगनाराम, समदादेवी पत्नि भगवानाराम, नरपतराम, भावेश पिसरान छगनलाल, अमीयादेवी छगनलाल कौम मेगवंशी सा0देह खातेदारी दर्ज है।

यह सही है कि खसरा नम्बर 332 व 315 के खातेदार जेपा पुत्र वदा माम्बी निवासी सांचौर जिला जालौर खातेदार थे जिसमें से खसरा नम्बर 322 के नवीन खसरा नम्बर 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 कुल रकबा 3.75 हैक्टर का राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 199 के इन्द्राज अलावा जोत काबिल काश्त सिवायचक मिल्कियत सरकार दर्ज हुआ जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांक 10.09.2010 के नगरपालिका सांचौर के नाम दर्ज हुआ तथा खसरा नम्बर 315 के नवीन खसरा नम्बर 763 रकबा 0.58 हैक्टर का इन्द्राज बलवन्ताराम वगैरा के नाम से लगातार चला आ रहा है।

खसरा नम्बर 332 के नवीन खसरा नम्बर 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 जरिये नामान्तरकरण संख्या 199 के सिवायचक एवं नामान्तरकरण संख्या 1033 के जरिये नगरपालिका सांचौर के नाम दर्ज है। जो कोर्ट के निर्णय व जिला कलेक्टर के आदेशानुसार हुआ है।

यह बात सही है कि खसरा नम्बर 332 रकबा 23 बिघा 4 बिस्वा का राजस्व में इन्द्राज मुकदमा नम्बर 44/75 के निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 428 भरा [illegible] स्वीकृत किया गया तथा इन्द्राज सिवायचक सरकार मिल्कियत दर्ज किया एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 199 के भी सरकार के नाम इन्द्राज हुआ तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 1033 के नगरपालिका के नाम इन्द्राज हुआ है। तथा खसरा नम्बर 315 के नवीन खसरा नम्बर 763 का इन्द्राज यथावत रहा जो सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 15:04:48 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 44/75 परगना अधिकारी भीनमाल में प्रकरण चला इस कागजात उपलब्ध न होने बाबत वादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किया है।

सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner

मुकदमा संख्या 44/75 की वादीगण की ओर से नियत समय में अपील नही की है ऐसी सुरत में वाद काबिल खारिज है।

नामान्तरकरण 428 की वादीगण ने निर्णय समय में कोई अपील पेश नही की है। वादीगण के नाम से इन्द्राज निरस्त हो चुका है अतः वाद काबिल खारिज है।

वादीगण की खातेदारी जरिये सक्षम न्यायालय के निर्णय से समाप्त की जा चुकी है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नगरपालिका के नाम से होने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन भी नगरपालिका के पक्ष में है अतः वाद काबिज खारिज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया ग्राम सांचौर के पुराने खसरा सं.–332 रकबा–23 बीघा 04 बिस्वा जिसके नया खसरा नम्बर–575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 कृषि भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है। जिम्मेवादी
2. आया परगना अधिकारी, भीनमाल द्वारा राजस्व प्रकरण सं.–44/75 में पारितनिर्णय दिनांक–08.07.1976 व आदेश कमांक/राजस्व/लेखा/1292, दिनांक–13.12.1976 को अवैध व विधि विरूद्ध घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। जिम्मेवादी
3. आया ग्राम सांचौर के नामान्तरकरण सं. 428 दिनांक–20.07.1977 को निरस्त फरमाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर ग्राम सांचौर के नये खसरा संख्या 575 से 583 कुल रकबा– 3.75 हैक्टर भूमि वादीगण अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिम्मेवादी
4. आया ग्राम सांचौर के नवीन खसरा नम्बर 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 कुल रकबा 3.75 हैक्टर आराजी में वादीगण अपने कब्जे काश्त, उपभोग व उनके अधिकारों , मालिकाना हक हिस्से का व स्वत्तवों में दखलंदाजी प्रतिवादीगण न करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिम्मेवादी
5. आया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल के मुकदमा संख्या 44/1976 निर्णय दिनांक 08.07.1976 के खिलाफ प्रतिवादीगण अपील पेश करने के अधिकारी है। वादीगण का वाद काबिल खारिज हैं। जिम्मप्रतिवादी
6. आया उक्त आराजी वर्तमान में नगरपालिका सांचौर के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रकरण अपील म्याद बाहर होने से श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं हैं। जिम्मेप्रतिवादी
7. आया उक्त आराजी के संबंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चले हैं जो जेपा के जीवनकाल में चले है, वर्तमान में जमीन खालशा सरकार बिलनाम भूमि होने से न. पा. सांचौर को हस्तांतरण हो चुकी है। वादीगण का वाद काबिल खारिज हैं। जिम्मेप्रतिवादी

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा नजीर chowksi & company(M/S) versus M/S Bansiram kartar chand S.B.Civil First Apeal No. 162 of 193 decided 29.03.2020 DNJ Raj 245 पेश की। बह[illegible]ली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

1. आया, ग्राम सांचौर के पुराने खसरा सं. 332 [illegible]घा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नं. 575 से 583 बने है पर वादीगण खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है– जिम्मेवादी

24/12/2020
सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner

प्रकरण में पुराने खसरा सं. 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 315 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जमाबंदी संवत 2012 से 2031 तक जोपा वल्द तथा कौम मांबी की खातेदारी में पेश था। परन्तु पारित नामान्तरण संख्या 428 दिनांक 11.03.1977 से आराजी खसरा नं. 332 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा श्रीमान परगना अधिकारी भीनमाल के आदेश क्रमांक/राज/लेखा/1292 दिनांक 13.12.1976 निर्णय मुकदमा नम्बर 44/1975 अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से भूमि का खालसा घोषित कर सिवायचक दर्ज किया गया। इसी खाते के अन्य खसरा नं. 315 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा खातेदार जोपा के खाते में बनी रही। वादी ने अपने दावे के साथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली की नकल प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयासों के रूप में प्राप्त पत्र व्यवहार की प्रतियां पेश की है परंतु बावजूद इसके निर्णय परगना अधिकारी भीनमाल की प्रति पेश करने में असफल रहा है। मुकदमा न. 44/1975 धारा अन्तर्गत 175 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित निर्णय किन तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया यह वादी न्यायालय में पेश साथ ही समकक्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील पेश नहीं करके हाजा न्यायालय से किस प्रकार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी वादीगण साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

2. आया परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रकरण सं. 44/1975 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.1976 व आदेश क्रमांक/राजस्व/लेखा/1292 दिनांक 13.12.1976 को अवैध व विधि विरुद्ध घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है– जिम्मेवादी

वादीगण परगना अधिकारी भीनमाल प्रकरण संख्या 44/1975 में पारित निर्णय एवं पत्रावली के दस्तावेज पेश करने में असफल रहे हैं। जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि न्यायालय परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा किन तथ्यों एवं दस्तावेजों के प्रकाश में यह निर्णय पारित किया है। समकक्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को किन आधारों पर अवैध शून्य एवं विधि विरुद्ध घोषित कराना चाहते है। यह वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे है।

3. आया ग्राम सांचौर के नामान्तरण संख्या 428 दिनांक 20.07.1977 को निरस्त फरमाकर इंद्राज दुरुस्ती की जाकर ग्राम सांचौर के नये खसरा नं 575 से 583 पर वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराना चाहता है। जिम्मेवादी

नामान्तरण संख्या 428 दिनांक 20.07.1977 न्यायालय परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित निर्णय प्रकरण 44/1975 के आधार पर स्वीकार किया गया है। परगना अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित निर्णय पर तनकी संख्या 2 में विवेचन किया जा चुका है अतः नामांतरण संख्या 428 निर्णय 44/1975 से सीधे तौर पर सम्बद्ध है। इसलिए वादीगण यह तनकी भी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है।

4. आया वादी ग्राम सांचौर के नवीन खसरा न. 575 से 583 रकबा 3075 हैक्टेयर आराजी में वादीगण अपने कब्जे काश्त के उपभोग–उपयोग व उनके अधिकारों मालिकाना हक हिस्से का व स्वत्वों में दखलंदाजी प्रतिवादीगण न करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मेवादी

आराजी मुतनाजा हाल खसरा संख्या 575, 576, [illegible] 579, 580, 581, 582, 583 कुल रकबा 3.75 हैक्टेयर आराजी पर वादीगण ने अपना [illegible]जा [illegible]त बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब इत्यादि में कहीं भी इस तथ्य का प्रतिकार [illegible] किया है। परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य यथा गिरदावरी या 91 L.R.Act की कार्यवाही रिपोर्ट आदि पेश नहीं की है जिससे कब्जा साबित हो सके। मौके पर कब्जे की [illegible]तविक स्थिति के संबंध में जवाब तहसीलदार से भी स्थिति स्पष्ट नहीं है इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा में वाद संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

?/12/2020
सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner

09/2001 बाबूलाल बनाम सरकार भी विचाराधीन रहा है। जिसमें वादीगण द्वारा भूमि पर अपना कब्जा बताते हुये खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोषद चाहा गया था। अतः कब्जे की स्थिति अस्पष्ट है, जहाँ तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न है। परन्तु जहां तक प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न है। वादीगण इस प्रकार का अनुतोष पाने के हकदार तब तक नहीं है। जब तक आराजी मुतनाजा पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा पाते है। जिसके संबंध में तनकी संख्या 1 में विवेचन किया जा चुका है। अतः वादीगण यह तनकी भी साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

5. आया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के मुकदमा संख्या 44/1975 के निर्णय दिनाक 08.07.1976 के खिलाफ वादीगण अपील पेश करने के अधिकारी है। वादीगण का वाद काबिल खारिज है। जिम्मेप्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध वादीगण को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। जबकि वादीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के निर्णय को अवैध व शून्य घोषित कराने का वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त वादीगण निर्णय न्यायालय परगना अधिकारी भीनमाल की प्रति पेश करने में भी असफल रहा है। इसलिए वाद वादीगण न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है।

6. आया उक्त आराजी वर्तमान में नगरपालिका सांचौर के नाम दर्ज हो चुकी है प्रकरण अपील म्याद बाहर होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं है। जिम्मेप्रतिवादी

भूमि मात्र नगरपालिका सांचौर के नाम दर्ज हो जाने से वादी के वाद लाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। जहां तक अपील म्याद का प्रश्न है न्यायालय हाजा में वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों को घोषणार्थ एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया है। अतः प्रतिवादीगण यह तनकी सिद्ध करने में असफल रहा है।

7. आया उक्त आराजी से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चला हैं जो जेपा के जीवनकाल में चले हैं वर्तमान में भूमि खालसा सरकार खिला नाम होने से नगरपालिका सांचौर को हस्तांतरण हो चुकी है वादीगण का वाद काबिल खारिज है। जिम्मेप्रतिवादी

आराजी मुतदावा के संबंध में चले अन्य दावों का विवरण वादी द्वारा अन्य वाद में नहीं दिया है। वाद संख्या 9/2001 जो इसी न्यायालय में विचाराधीन रहा है के पक्षकारों को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है प्रथमदृष्टया वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर चले अन्य वादों के तथ्यों का उल्लेख नहीं करके तथ्यों को छिपाया है। अतः प्रतिवादी यह तनकी सिद्ध करने में सफल रहे है।

वादीगण निर्णय न्यायालय परगना अधिकारी भीनमाल की प्रति एवं पत्रावली की प्रति पेश नहीं कर सका है। साथ ही समकक्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील पेश न करके विधि विरुद्ध घोषणात्मक दावा पेश किया है। जबकि वादीगण को चाहे गये अनुतोष के लिए सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए थी इसलिए दावा वादी खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.05 15:04:48 IST
Reason: SelfAttested

24/12/2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर
सांचौर

सहायक कलेक्टर-सांचौर जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner